रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. ....
Date ....
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1979 (चैत्र 24, 1901)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1979 (CHAITRA 24, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	221
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	467
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	21
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	303
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	965
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	973
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	113
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2773
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	223
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	33
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1165
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	47

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	221
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	467
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	21
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	303
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	963
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	973
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	113
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2773
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	223
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	33
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1165
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक अप्रैल 1979

नियम

सं० 12/4/79-के० से०-II—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1979 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक लिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग के लिये प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जायेगी।

भरी जाने वाली रिक्तियों में, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति जन जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है :—

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950।

*संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950।

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951। *संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किये गये के अनुसार]।

*संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956। *संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959।

*संविधान (दादर तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962। *संविधान (दादर तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962।

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964।

*संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967।

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव), अनुसूचित जाति आदेश, 1968।

*संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968, और

*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इस नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जायेगी।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा;

4. पात्रता की शर्तें—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का श्रेणी 'घ' या श्रेणी III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थाई अथवा अस्थाई अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात्, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-III के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग के ग्रेड-II की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-'ग' की रिक्तियों के लिये पात्र होंगे।

(क) सेवा की अवधि.—इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में निर्णायक तारीख, अर्थात 1-1-1979 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरन्तर सेवा होनी चाहिये।

टिप्पणी:—ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हो तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी-घ/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी 'घ'/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक उप-संवर्ग की श्रेणी-III में प्रतियोगितात्मक परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिये और उस श्रेणी में उसकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिये।

(ख) आयु.—उसकी आयु पहली जनवरी, 1979 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये अर्थात् वह 2 जनवरी, 1929 से पहले पैदा नहीं हुआ हो।

(ग) उपरिलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी:—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से

पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ हो और पहली जनवरी, 1964 को या उसके बाद (लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले) प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्री लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, और इथियोपिया से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तथा भारतीय मूल का भी हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से नियुक्त अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक, और

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों।

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तथा जुलाई, 1975 से पहले भारत प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xv) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तथा वियतनाम से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तथा जुलाई, 1975 से पहले भारत प्रव्रजित न हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xvi) ऐसे उम्मीदवारों के लिये जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन पकड़े गये अथवा जो भारत प्रतिरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 अथवा उसके नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये तथा जो उस समय सामान्य आयु-सीमाओं के अन्तर्गत आते थे, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन सं० 15013/1/77-स्था० (घ) दिनांक 3-2-1978 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार आयु छूट की अनुमति होगी। 31-12-1979 तक केवल एक ही अवसर दिया जाना है।

टिप्पणी:—नियम 4 (ग) (iv) तथा (v) 4(ग) (vi) और 4 (ग) (vii) तथा (viii) के अधीन दी गई आयु-छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट किये गये व्यक्तियों की उम्मीदवारी अनन्तिम होगी बशर्ते कि इन रियायतों को यथास्थिति 28-2-1977 और 31-12-1976 से आगे बढ़ा दिया जाये।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जायेगी।

(घ) आशुलिपिक परीक्षा:—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय, आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III में स्थायीकरण, या बने रहने के प्रयोजन के लिये आयोग को आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिये।

टिप्पणी—ग्रेड-घ या ग्रेड-III के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणाधिकार है, यदि अन्यथा पात्र हों, वे परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड-घ/ग्रेड-III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप से संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उपसंवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ/ग्रेड-III में धारणाधिकार न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6 यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

7. उम्मीदवार को आयोग की विज्ञप्ति के पैरा 5 में निर्धारित शुल्क देना होगा।

8 यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से बारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

9. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से तीन अलग सूचियां बनाई जाएंगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलताप्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये सिफारिश करेगा।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सकें तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिये मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई भी रैंक क्यों न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' की चयन सूची में शामिल करने के लिये योग्य हो।

टिप्पणी.—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड 'ग'/ग्रेड-II और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जाये इसका निर्णय करने के लिये सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिये गये निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाये।

10. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिल जाता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, किसी जानकारी के बाद जो आवश्यक समझी जाये, संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार, सेवा में अपने चरित्र के विचार से, चयन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त है।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवायें उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड III या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' में धारणाधिकारी न हो, वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह ग्रेड-'घ'/ग्रेड-III के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रति-नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

के० बी० नायर
अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक विषय के लिये दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
	घन्टे	
(i) सामान्य अंग्रेजी . .	$1\frac{1}{2}$	50
(ii) निबन्ध . .	$1\frac{1}{2}$	50
(iii) सामान्य ज्ञान . .	3	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिये) 200 अंक

टिप्पणी.—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन में लिपि-यन्तरित करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिये उन्हें अपनी मशीन लानी होगी।

भाग ग—ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन, जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किये जायेंगे, अधिकतम 100 अंक

2 लिखित परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिये गये के अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (ii) निबन्ध और (iii) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने की छूट है और उपर्युक्त दोनों प्रश्न-पत्रों के लिये एक ही माध्यम (अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी) को चुनना होगा। जो उम्मीदवार इन दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल हिन्दी में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार प्रश्न पत्रों को अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी। सभी उम्मीद-वारों को प्रश्न पत्रों (i) सामान्य अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा।

टिप्पणी:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में (ii) निबन्ध तथा (iii) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी में लिखने के इच्छुक हों, वे यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 6 में लिखें, अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में लिखेगा।

एक बार का विकल्प अन्तिम समझा जाएगा, और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:—ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में सीखनी पड़ेगी।

टिप्पणी 3:—जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, और (ii) निबन्ध तथा (iii) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षायें हिन्दी में लिखना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षायें देने के लिये विदेश में किसी ऐसे भारतीय मिशनों में जहां ऐसी परीक्षायें लेने के आवश्यक प्रबन्ध हो, जाना पड़ सकता है।

टिप्पणी 4:—उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में उत्तर लिखने अथवा आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊपर होंगे। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जायेगा (निम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें)।

5. जो उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये गये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

8. केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

9. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काट लिये जायेंगे।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेषतया लाभ दिया जायेगा कि भावाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

(भाग क)

टिप्पणी :—भाग 'क' के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की 'मैट्रीकुलेशन' परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी:—यह प्रश्न पत्र इस रूप से तैयार किया जायेगा, जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान को तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाये। अंक देते समय वाक्य विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा कौशल को ध्यान में रखा जायेगा। इस प्रश्न पत्र में निबन्ध लेखन सार लेखन, मसौदा लेखन शब्दों का शुद्ध प्रयोग आसान मुहावरों और उपसर्ग (प्रोपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किये जा सकते हैं।

निबन्ध :—कई निर्धारित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों का कुछ ज्ञान—

भारत का संविधान पंचवर्षीय योजनायें, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामान्य घटनायें, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिये। उम्मीदवारों के उत्तर से यह प्रकट होना चाहिये कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों से किसी पाठ्य-पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग ख

आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षायें होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करनी होगी।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षायें होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों का क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल, 1979

नियम

सं० 6/13/78 के० से० I—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1979 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) सहायक का सामान्य संवर्ग का ग्रेड IV ।

(ii) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का ग्रेड IV (सहायक)।

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड और

(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों में सहायकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

1. कोई भी उम्मीदवार ऊपर की किसी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकता है। वह इनमें से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाना चाहता है, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

ध्यान दें—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों, उनका वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें। उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों, जिनके लिए वह प्रतियोगी है, के वरीयता क्रम में परिवर्तन से संबंध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से किसी एक से है:—

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश 1959 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो —

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य पूर्वी अफ्रीका के देशों तथा जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। उसे तीन प्रयास से अधिक अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय लागू है।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह एक ही बार में उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 2—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुत: एक या अधिक विषयों में बैठा हो तो यह माना जाएगा कि वह परीक्षा के लिए एक प्रयास कर चुका है।

नोट 3—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उसके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाए/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए।

6(क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1979 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1954 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1959 के बाद न हुआ हो।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों तथा साथ में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन विभागों/कार्यालयों या चुनाव आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयों या लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में कम से कम 3 वर्ष की लगातार तथा नियमित सेवा 1 जनवरी 1979 तक कर लेने वाले लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों/स्टेनोग्राफर-ग्रेड घ के मामले में 30 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकेगी।

ऐसे पदों पर कार्य कर रहे उम्मीदवार जिनका पद नाम लोअर डिवीजन क्लर्क/ अपर डिवीजन क्लर्क/ स्टेनोग्राफर ग्रेड घ नहीं है इस उप नियम के अन्तर्गत आयु में छूट पाने के पात्र नहीं होंगे भले ही उनके द्वारा धारित पद समान वेतनमान का ही क्यों न हो।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और छूट दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और भारतीय मूल का व्यक्ति हो तथा कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया से प्रव्रजन किया हो अथवा जाम्बिया, मलावी तथा जेरे से प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xiii) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम-स्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के हों, अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xiv) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xv) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो तथा वियतनाम से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो (उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो) अथवा जिसके पास वियतनाम में भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण पत्र (इमर्जेंसी सर्टीफिकेट) हो और जो वियतनाम से भारत में 25 जुलाई, 1975 से पहले न आया हो तो उसे अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(घ) ऐसा उम्मीदवार, जो निर्णायक तारीख अर्थात् पहली जनवरी, 1979 को निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा से अधिक आयु का हो जाता है और जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था या 25-6-75 तथा 21-3-77 के बीच की आन्तरिक आपात स्थिति की अवधि में अभिकथित राजनैतिक कार्य-कलापों या तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित होने के कारण भारत रक्षा या आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन गिरफ्तार या कैद हुआ था और इस प्रकार उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु-सीमा के अन्दर होते हुए भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया गया था वह इस शर्त पर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा कि वह जून, 1975 और मार्च, 1977 के बीच की अवधि में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा में कम से कम एक बार भी नहीं बैठ पाया हो (अर्थात् वह परीक्षा में बैठने का मौका खो चुका हो) और सभी दृष्टियों से वह बैठने के लिए पात्र रहा हो।

टिप्पणी:— इस रियायत के अन्तर्गत, जो कि 31-12-1979 के बाद होने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह्य नहीं होगा, एक से अधिक अवसर नहीं दिया जाएगा।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

नोट:—जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

जो लो० डि० क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क स्टेनोग्राफर ग्रेड-द सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेकर किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त है या जिसका किसी अन्य पद पर स्थानांतरण हो जाता है किन्तु जिस पद से स्थानांतरित हुआ है, उस पर उनका नियत बना रहता है, वह यदि अन्यथा उपयुक्त हुआ तो परीक्षा में प्रवेश का पात्र बना रहेगा।

7 उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री होनी चाहिए।

टिप्पणी-I —ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष हों, रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी-II —कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी-III—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सब को इस आशय का परिवचन (अन्डरटेकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा-6 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिस उम्मीदवार ने

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(8) उत्तर पुस्तकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

(11) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि लिए,

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उन के नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यताक्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

15. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा। (दृष्टव्य:—आवेदन प्रपत्र का कालम 22)

16. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

17. उम्मीदवार को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाईपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा कि उनकी वेतनवृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

18. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाए। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना हो।

20. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

21 भारतीय विदेश सेवा (ख), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट II में संक्षेप में दी गई हैं।

के० वी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घन्टे
2. अंग्रेजी—दो भागों में (I और II)	200	3 घन्टे
भाग I		1 घन्टे
भाग II		2 घन्टे
3. अंकगणित	100	2 घन्टे
4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी सम्मिलित है	100	2 घन्टे

2. अंग्रेजी भाग I, अंक गणित और सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है, के प्रश्नपत्रों में वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र के नमूने के लिए कृपया परिशिष्ट III पर उम्मीदवार—सूचना पुस्तिका देखें।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथी लगी अनुसूची में दिया गया है।

4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र I या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा। निबंध, अंकगणित तथा सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल सम्मिलित है, के प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

नोट 1 —यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट 2—उक्त प्रश्न पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के कालम 14 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जो उम्मीदवार किसी या किन्हीं प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प दे चुके हैं, वे अगर चाहें तो, हिन्दी की तकनीकी शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ-साथ अंग्रेजी पर्याय भी दे सकते हैं।

5. उम्मीदवार को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपनी विवक्षा पर परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. खराब लिखाई के कारण प्रत्येक विषय के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

9 निबंध तथा अंग्रेजी भाग II में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष श्रेय दिया जाएगा।

10 प्रश्नपत्रों में जहां आवश्यक हो, तौलों और मापों की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

(1) निबन्ध—दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

(2) अंग्रेजी

अंग्रेजी भाग I:—प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा इस भाषा में सही तथा प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की सामर्थ्य का पता चल सके।

अंग्रेजी भाग II:—प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिनसे उम्मीदवारों की अच्छी अंग्रेजी—लेखन तथा सार लेखन की सामर्थ्य का पता चल सके।

(3) अंक गणित:—संख्याओं, आरेखों, प्रारम्भिक सांख्यिकी तथा अंकगणित के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाएगा।

(4) सामान्य ज्ञान:—जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है। सामाजिक घटनाओं का ज्ञान जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार, बिना किसी विशेष अध्ययन के ही, दे सकते हैं।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)

विदेश मंत्रालय में और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक, कौंसलर एवं वाणिज्यिक मिशनों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सम्मिलित हैं। ग्रेड IV के नीचे के ग्रेडों को छोड़ कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं:—

ग्रेड	पदनाम	वेतनमान
ग्रेड I	मुख्यालयों में अवर सचिव, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 1200-50-1600
समेकित ग्रेड II और III	मुख्यालयों में सहायक (अनुभाग) और अनुभाग अधिकारी, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में उपकौंसुल और रजिस्ट्रार	रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो० -40-1200
ग्रेड IV	मुख्यालयों में तथा विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों पर सहायक	रु० 425-15-500 द० रो० 15-560-20-700-द० रो०-25-800.

टिप्पणी—समेकित ग्रेड II और III में पदोन्नति सहायकों को कम से कम 710/- रुपये मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV (सहायकों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जाएगा। फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी बारी में, भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली 1964 के अनुसार स्थायी किए जाएंगे, किन्तु उनका स्थायीकरण रिक्त मूल स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा। उम्मीदवारों की ग्रेड IV में नियुक्ति सामान्यतया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित रैंक के अनुसार की जाएगी, बशर्ते कि विदेश में सेवा हेतु योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार न किया गया हो।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों। प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नौकरी से निकाला जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य किसी सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जो चाहे भारत में अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किए जाएं, सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्य जब भारत में नियुक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त कर दिए जाते हैं तो कुछ ऐसी रियायतें पाने के हकदार होंगे—जो इस प्रकार के लाभ के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दी

जाती है जैसे विदेश भत्ता, निःशुल्क फर्नीचर युक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता, और उनके तथा उनके परिवार आदि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि । ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार देती है वापस ली जा सकती हैं, संशोधित की जा सकती हैं अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा 'ख') (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति नियमावली, 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सरकार भविष्य में बनाए और उक्त सेवा पर लागू करे।

7. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग सहायक के ग्रेड IV में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा) ख (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964 में समविष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

नोट—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I के अधिकारियों के लिए भारतीय विदेश सेवा (क) के रु० 1200 (छठा वर्ष अथवा उससे कम)-50-1300-60-1600- द० रो०-60-1900-100-2000 के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए सीमित कोटा उपलब्ध है।

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इस समय निम्नलिखित 4 ग्रेड हैं :—

1. चयन ग्रेड (उपसचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000.

2. ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी—रु० 1200-50-1600.

3. अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000- द० रो०-40-1200.

4 सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800.

टिप्पणी—अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति सहायक कम से कम 710/-रु० प्र० मा० वेतन प्राप्त करते हैं । सहायक के रूप में सीधे भर्ती हुए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसके दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसी परीक्षाएं देनी होंगी जो सरकार निर्धारित करे। यदि वे प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें और परीक्षाएं पास न कर सकें तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकता है ।

परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

उक्त सेवा के सहायक ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रभावी नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की तरह अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते हैं।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती हुए अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, और

(ii) गैर-अंशदायी सरकारी रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत उक्त निधि में अंशदान करेंगे जोकि रेल कर्मचारियों पर उनके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से लागू हो जाते हैं ।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नियुक्त कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पास और पी० टी० ओ० के हकदार होंगे ।

जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय, सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(iii) (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे 4 ग्रेड हैं :—

(1) चयन (सेलेक्शन) ग्रेड (उप-सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1500-60-1800-100-2000

(2) ग्रेड I (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी)—रु० 1200-50-1600.

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200

(4) सहायक ग्रेड—रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800

नोट :—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत कि जाते हैं, उन्हें कम से कम 710 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा या परीक्षाएं पास न कर सके तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सचिवालय सेवा में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय किसी अन्य मंत्रालय या में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे नियुक्ति के बाद किसी अन्य संवर्ग (कैडर) किसी पद पर या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
(1) चयन ग्रेड (संयुक्त निदेशक या वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर) (ग्रुप-क)	रु० 1500-60-1800.
(2) सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप-क)	रु० 1100-50-1600
(3) सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर (ग्रुप-ख-राजपत्रित)	रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200.
(4) सहायक (ग्रुप-ख-अराजपत्रित)	रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800.

नोट (1)—सहायक ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड में पदोन्नत होने पर सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 710/- रुपये का आरम्भिक वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके तो या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को किसी सेना मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल हो रहे अन्तर सेना संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जाएगा। तथापि उन्हें किसी भी समय इसी प्रकार के किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं, उनका ऐसी नियुक्ति के उपरांत, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

परिशिष्ट-III

संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका

वस्तुपरक परीक्षण :

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं, उसको "वस्तुपरक परीक्षा" कहा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में आपको उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई संभाव्य उत्तर दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिये एक उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) आपको चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

ख. परीक्षण का स्वरूप :

प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 · · · के क्रम से प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे ए, बी, सी, · · · क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम प्रत्येक प्रश्न के लिये एक सही या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा (अंत में दिए गए नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

ग. उत्तर देने की विधि :

उत्तर देने के लिये आपको अलग से एक उत्तर पत्रक परीक्षा भवन में दिया जाएगा। आपको अपने उत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर जांचे नहीं जाएंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 200 तक चार खंडों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने ए, बी, सी, डी, ई, · · · के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे। परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर को दर्शाने वाले आयत को पेंसिल से काला बनाकर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पत्रक के नमूने पर दिखाया गया है। उत्तर पत्रक के आयत को काला बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

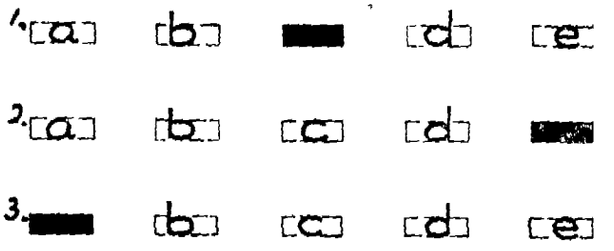

आपके उत्तर पत्रक में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन मशीन से किया जाएगा। जो गलत उत्तर, एच० बी० पेंसिल के अतिरिक्त दूसरी पेंसिल के प्रयोग और विकृत उत्तर पत्रक को पहचानने में बड़ी सुग्राही है। इस लिए यह जरूरी है कि प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलों) ही लाए और उन्हीं का प्रयोग करें। दूसरी पेंसिलों या पेन के द्वारा बनाए गए निशान, संभव है, मशीन से ठीक-ठीक न पढ़े जाएं।

2. अगर आपने गलत निशान लगाया है, तो उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें। इसके लिये आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सलवट आदि पड़ जाएं और वह टेढ़ा हो जाए।

घ. कुछ महत्वपूर्ण नियम

1. आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिये निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट तक बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3 परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा-भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा।

5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा/परीक्षण का नाम, अपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय, परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या स्याही से साफ-साफ लिखें। उत्तर पत्रक पर आप कहीं भी अपना नाम न लिखें।

6 परीक्षण-पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। चूंकि मूल्यांकन मशीन के द्वारा होगा है, इसलिये संभव है कि इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नंबर कम हो जाए। अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के लिये आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने को कह दे तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र साथ लाएं। आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुकड़ा, पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने है। क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। कच्चे काम के लिए आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। आप कच्चा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नं० और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को पास कर दें।

ङ विशेष अनुदेश :

जब आप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षा पुस्तिका देंगे। प्रत्येक परीक्षण-पुस्तिका पर हाशिये में सील लगी होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाये। जैसे ही आपको परीक्षण-पुस्तिका मिल जाए, तुरन्त आप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है। अन्यथा, उसे बदलवा लें। जब यह हो जाए तब आपको उत्तर पत्रक के संबद्ध खाने में अपनी परीक्षण-पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी। जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहे तब तक आप उसे न तोड़ें।

च. कुछ उपयोगी सुझाव :

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का, दक्षता से उपयोग करें। संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ें, पर लापरवाही न हो। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो चिन्ता न करें। आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े, उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तरों के लिये अंक नहीं काटे जाएंगे।

प्रश्न इस तरह बनाये जाते हैं कि उनसे आपकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा, जानकारी, सूझ-बूझ और विश्लेषण-क्षमता की परीक्षा हो। आपके लिए यह लाभदायक होगा कि आप संगत विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें और इस बात से आश्वस्त हो जायें कि आप अपने विषय को अच्छी तरह समझते हैं।

छ परीक्षण का समापन :

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहे, आप लिखना बंद कर दें। जब आपका उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके यहां आकर आपकी परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक न ले जाएं, और आपको "हाल" छोड़ने की अनुमति न दे। आपको परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

नमूने के प्रश्न

1 मौर्य वंश के पतन के लिये निम्नलिखित कारणों में से कौन-सा उत्तरदायी नहीं है?

(a) अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे।

(b) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ।

(c) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई।

(d) अशोकोत्तर युग में आर्थिक रिक्तता थी।

2. संसदीय स्वरूप की सरकार में

(a) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।

(b) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है।

(c) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

(d) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

(e) कार्यपालिका न्याय पालिका के प्रति उत्तरदायी है।

3. पाठशाला के छात्र के लिये पाठ्येतर कार्य कलाप का मुख्य प्रयोजन

(a) विकास की सुविधा प्रदान करना है।

(b) अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है।

(c) नियत कक्षा कार्य से राहत देना है।

(d) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है।

4 सूर्य के सबसे निकट ग्रह है,

(a) शुक्र

(b) मंगल

(c) बृहस्पति

(d) बुध

5. वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन-सा विवरण स्पष्ट करता है?

(a) पेड़-पौधे जितने अधिक होंगे, मिट्टी का क्षरण, उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है।

(b) पेड़-पौधे जितने कम होते हैं, नदियां उतनी ही गाद से भरी होती हैं, जिससे बाढ़ होती है।

(c) पेड़-पौधे जितने अधिक होते हैं, नदियां उतनी ही कम गाद से भरी होती हैं, जिससे बाढ़ रोकी जाती है।

(d) पेड़-पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है।

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 अप्रैल 1979

नियम

सं० 11/1/79-के० से०-II—सितम्बर, 1979 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये नियम सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में बता दी जाएगी । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किए जायेंगे ।

अनुसूचित जाति/जन जाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जो निम्नलिखित में उल्लिखित है —

संविधान (अनुसूचित जाति), आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघराज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचियां, (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन, अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किए गए के अनुसार संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली), अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968 संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा ।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी, इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

4 केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 जनवरी, 1979 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, इस परीक्षा में बैठ सकेगा :—

(1) सेवा की अवधि—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1979 को उसकी पांच वर्ष से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उसकी नियुक्ति प्रतियोगितात्मक परीक्षा (जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा भी शामिल है) के परिणामों के आधार पर हुई हो, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिएं तथा उसकी उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनमोदित और लगातार सेवा होनी चाहिये ।

टिप्पणी 1—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशत: उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी 2—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा ।

टिप्पणी 3—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नि.संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जाएगा तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होगी जो स्थानान्तरित रूप में नि.संवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों, और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों ।

(2) आयु—(क) 1-1-1979 को उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1929 से पूर्व नहीं हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामलों में जिसने 26 अक्तूबर 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर अपनी सेवा (प्रशिक्षण की अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जाएगी ।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जाएगी ।

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत सीलोन करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत श्रीलंका करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो तथा भारतीय मूल का भी हो और केन्या, युगांडा और

संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया से प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो, और बर्मा से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(x) यदि दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा कार्मिकों के लिये अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए सेवा कार्मिकों के लिये, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हों तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों, और

(xiv) यदि उम्मीदवार वियतनाम से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा जुलाई, 1975 से पहले भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xv) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तथा वियतनाम से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो तथा जुलाई, 1975 से पहले भारत प्रव्रजित न हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(xvi) ऐसे उम्मीदवारों के लिये जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन पकड़े गये अथवा जो भारत प्रतिरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971, अथवा उसके नियमों के अधीन गिरफ्तार किए तथा जो उस समय सामान्य आयु-सीमाओं के अन्तर्गत आते थे, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं० 15013/1/77-स्था० (ध) दिनांक 3-2-1978 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार आयु छूट की अनुमति होगी। 31-12-1979 तक केवल एक ही अवसर दिया जाना है ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायेगी ।

(3) टंकण परीक्षा —यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से मध्य लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण शाला/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध)/अधीनस्थ सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग की मासिक /तिमाही टाईप की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

6. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर लिया गया हो कि उसने —

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपयुक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा इस परीक्षा, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से, वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो आयोग द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिससे उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा ।

9. उन उम्मीदवारों को छोड़कर, जो इस आयोग की विज्ञप्ति के उपबन्धों के अनुसार फीस माफी का दावा करते हों, सभी उम्मीदवारों को निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना चाहिए ।

10 आयोग परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अंतिम रूप में दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की दो अलग-अलग सूचियां तैयार करेगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों ।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सकें, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यताक्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना यदि वे योग्य हुए तो आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जेमिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाय।

11. हर उम्मीदवार का परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

किन्तु इस संबंध में निर्णय कि क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हो या किसी निम्नवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के० स० लि० से० रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निम्नवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका हो।

के० वी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग 1—नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा वृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में आयोग फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग—1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय		अधिकतम अंक	दिया गया समय
(i) निबंध तथा सार लेखन			
(क) निबंध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेख	50		
(ii) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति		100	2 घंटे
(iii) सामान्य ज्ञान		100	2 घंटे

टिप्पणी—दोनों श्रेणियों अर्थात् के० स० लि० से० और रे० बो० स० लि० से० के उम्मीदवारों के लिए टिप्पण, आरूपण तथा कार्यालय पद्धति के प्रश्न पत्र अलग-अलग होंगे।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात् (i) निबंध तथा सारलेखन, अथवा (ii) टिप्पणी लेखन/मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (iii) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न-का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए।

टिप्पणी 2—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी : 3—एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी 4—प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जायेंगे।

टिप्पणी 5—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (प्राप्त की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोई सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट दिए जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक विवरण

(1) निबन्ध तथा सार लेखन

(क) निबन्ध :—विहित कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन :—सूक्ष्म सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद दिये जायेंगे।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति—इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता आंकना है।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तिका (मैन्युअल आफ आफिस प्रोसीजर—सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति पर टिप्पणियां—रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेश पुस्तिका पढ़ें।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उम्मीदवारों को चाहिए कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई कार्यालय पद्धति संहिता और लोक सभा और राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की हस्त-पुस्तिका और इस प्रयोजन के लिए राज भाषा के प्रयोग से संबंधित भारतीय रेलवे के आदेशों के संकलन का अध्ययन करें।

(3) सामान्य ज्ञान—सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन संबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है। प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके लिए किन्हीं पाठ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा नहीं अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्ण ढंग पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1979

संकल्प

सं० एफ० 6-20/78 एफ०-2—भारत सरकार ने अपने दिनांक 8 जुलाई, 1975 के संकल्प संख्या 3-7/78 एफ०-2 जिसके द्वारा वन संगठनों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण की 4 (चार) क्षेत्रीय समन्वय समितियों का गठन किया गया था, में सदस्यों की सूची में निम्नलिखित को भी शामिल करने का निर्णय लिया है :—

1. क्षेत्रीय समन्वय समिति : केन्द्रीय क्षेत्र

(1) हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड का एक प्रतिनिधि ।

(2) क्षेत्रीय समन्वयक, वन संसाधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय क्षेत्र, नागपुर ।

(3) सचिव, राज्य वन विभाग, महाराष्ट्र ।

(4) सचिव, राज्य वन विभाग, मध्य प्रदेश ।

(5) सचिव, राज्य वन विभाग, उड़ीसा ।

(6) सचिव, राज्य वन विभाग, गुजरात ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, महाराष्ट्र वन विकास निगम ।

(8) प्रबन्ध निदेशक, मध्य प्रदेश वन विकास निगम ।

(9) प्रबन्ध निदेशक, उड़ीसा वन विकास निगम ।

(10) प्रबन्ध निदेशक, गुजरात वन विकास निगम ।

(11) दक्षिण घाट विकास परिषद का एक सदस्य ।

(12) उप महा निरीक्षक, वन (सामान्य) कृषि विभाग ।

क्षेत्रीय समन्वयक अब तक के प्रावधान के अनुसार कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अवर सचिव (वन) के स्थान पर सदस्य सचिव के पद पर भी कार्य करेंगे ।

2 क्षेत्रीय समन्वय समिति, उत्तरी क्षेत्र

(1) हिन्दुस्तान पेपर निगम लि० का एक सदस्य ।

(2) क्षेत्रीय समन्वयक वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण, शिमला ।

(3) सचिव, राज्य वन विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

(4) सचिव, राज्य वन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(5) सचिव, राज्य वन विभाग, जम्मू तथा कश्मीर ।

(6) सचिव, राज्य वन विभाग, राजस्थान ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, हिमाचल प्रदेश ।

(8) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, उत्तर प्रदेश ।

(9) उप महा निरीक्षक वन (सामान्य) कृषि विभाग ।

क्षेत्रीय समन्वयक अब तक के प्रावधान के अनुसार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अवर सचिव (वन) के स्थान पर सदस्य सचिव के पद पर भी कार्य करेंगे ।

3. क्षेत्रीय समन्वय समिति, पूर्वी क्षेत्र

(1) हिन्दुस्तान पेपर निगम लि०, का एक सदस्य ।

(2) क्षेत्रीय समन्वयक, वन संसाधन का निवेश पूर्व सर्वेक्षण, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता ।

(3) सचिव, वन विभाग, बिहार ।

(4) सचिव, वन विभाग, पश्चिम बंगाल ।

(5) सचिव, वन विभाग, मेघालय ।

(6) सचिव, वन विभाग, असम ।

(7) सचिव, वन विभाग, त्रिपुरा ।

(8) सचिव, वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश ।

(9) सचिव, वन विभाग, मणिपुर ।

(10) सचिव, वन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

(11) सचिव, वन विभाग, मिजोरम ।

(12) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, बिहार ।

(13) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, पश्चिम बंगाल ।

(14) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, मेघालय ।

(15) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, त्रिपुरा ।

(16) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, अरुणाचल प्रदेश ।

(17) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

(18) उप महा निरीक्षक वन (सामान्य) कृषि विभाग

क्षेत्रीय समन्वयक अब तक के प्रावधान के अनुसार कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अवर सचिव (वन) के स्थान पर सदस्य सचिव के पद पर भी कार्य करेंगे ।

4. क्षेत्रीय समन्वय समिति, दक्षिणी क्षेत्र

(1) हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, का एक सदस्य ।

(2) क्षेत्रीय समन्वयक, वन संसाधन का निवेशपूर्व सर्वेक्षण, दक्षिणी क्षेत्र ।

(3) सचिव, वन विभाग, आन्ध्र प्रदेश ।

(4) सचिव, वन विभाग, कर्नाटक ।

(5) सचिव, वन विभाग, तमिलनाडु ।

(6) सचिव, वन विभाग, केरल ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, आन्ध्र प्रदेश ।

(8) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, कर्नाटक ।

(9) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, कर्नाटक ।

(10) प्रबन्ध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, तमिलनाडु ।

(11) पश्चिम घाट विकास परिषद का एक प्रतिनिधि ।

(12) उप महा निरीक्षक, वन (सामान्य) कृषि विभाग ।

क्षेत्रीय समन्वयक अब तक प्रावधान के अनुसार कृषि और सिंचाई के अपर सचिव (वन) के स्थान पर समय सचिव के पद पर भी कार्य करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसद पुस्तकालय को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सी० एन० जोशी, अवर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 1979

संकल्प

सं० एम० एफ० आर० 31/78 एम० एफ०—लाईनर जहाजी कम्पनियों के लिए राष्ट्र-संघ (यू० एन०) आचार संहिता के अनुच्छेद-II में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि साझे हित के मामलों में जैसे टैरिफ दरों के सामान्य स्तर में परिवर्तन, टैरिफ परिस्थितियों में परिवर्तन और अधिभार लगाना आदि, जहाजी कम्पनियों/रेट एग्रीमेन्टस/नौवहन कम्पनियों और पोत वणिक संघों के बीच सलाह मशविरा हो । भारत में नौवहन कम्पनियों की परिस्थितियों के संदर्भ में उपरोक्त आचार संहिता में यथानिर्धारित परामर्शी फारमूले पोत वणिक संगठनों और नौवहन संस्थाओं के बीच समय-समय पर स्वीकार किए गये है ; परन्तु इससे कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकले है । कई बार कान्फ्रेन्सों आदि ने स्वेच्छा से ही भाड़े में वृद्धियां की है और कई बार संबंधित पक्षकारों के साथ वार्ता या तो संतोषजनक नहीं रही या इससे कुछ भी परिणाम नहीं निकले । अनुभव से यह पता चला है कि इस तरह के द्विपक्षीय वाणिज्यिक संगठनों के बीच नियमितता या सुगमता नहीं रही । इस वजह से संबंधित पक्षकारों के लिए यह सदा संभव नहीं हो पाया कि कोई वांछित समझौता हो । एक ओर अखिल भारतीय पोत वणिक परिषद (ए० आई० एस० सी०) और इसके क्षेत्रीय संघ और दूसरी ओर तीन राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियां अर्थात् भारतीय नौवहन निगम, दि० सिंधिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी लिमिटिड और इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटिड जो भारत के समुद्रपारीय व्यापार में लगी अधिकांश कान्फ्रेंसों की सदस्य है, के बीच साझे हितों के मामलों में कोई परस्पर समझौता नहीं हो सका है । इस लिए जहाज मालिकों और पोत वणिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यापार संबंधी मामलों की समस्याओं को हल करने के लिए मौजूदा मशीनरी को और मजबूत बनाने के लिए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी उत्सुक है कि भारत के समुद्रपारीय व्यापार में रत कान्फ्रेंस/रेट एग्रीमेन्टस/नौवहन कम्पनियां ऐसा भाड़ा और दरें निर्धारित करें जो भारत के राष्ट्रीय निर्यात कार्यों में सहायक हो । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह निश्चय किया गया है कि भाड़ा और नौवहन सेवाओं पर एक स्थायी परामर्शदात्री समिति का तुरन्त गठन किया जाए ।

1. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(i) नौवहन महानिदेशक,
"जहाज भवन" बालचन्द हीराचन्द मार्ग,
बम्बई-400001 अध्यक्ष

(ii) अपर सचिव,
वाणिज्य सिविल पूर्ति और सहयोग मंत्रालय,
(वाणिज्य विभाग)
नई दिल्ली । सदस्य

(iii) अपर सचिव,
वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
नई दिल्ली । सदस्य

(iv) संयुक्त सचिव (नौवहन),
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(परिवहन पक्ष), नई दिल्ली । सदस्य

2. (1) समिति को कार्यालय संबंधी सहायता नौवहन महा निदेशालय, बम्बई के भाड़ा जांच ब्यूरो द्वारा दी जाएगी ।

3 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) पोत स्वामियों और पोत वणिकों के बीच समझौते का वातावरण पैदा करना ताकि कोई भी पक्षकार एक पक्षीय कार्यवाही न करे और न ही कोई अनुचित रुख अपनाए ।

(ख) सामान्य भाड़ा वृद्धियों, अलग-अलग वस्तुओं की भाड़ा दरों में वृद्धि, विभिन्न अधिभार लगाने आदि के लिए उस समय कान्फ्रेन्सों/रेट एग्रीमेन्टस/नौवहन कम्पनियों के प्रस्तावों की जांच करना जब पोत स्वामियों और पोत वणिकों के बीच कोई परस्पर समझौता न हो और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को ठीक समझ कर दोनों को किसी परस्पर समझौते के लिए सलाह देना ।

(ग) असामान्य भूचमूलक और उच्च भाड़ा दरों के बारे में पोत वणिकों से प्राप्त शिकायतों की उस समय जांच करना जब पोतवणिकों, पोत वणिक संघों और भाड़ा जांच ब्यूरो के पर्याप्त भाड़ा दरों में संशोधन करने में असफल रहे हों ।

(घ) पोत स्वामियों द्वारा इस कारण से कि माल गंदा है या भाड़ा कम है या अलाभप्रद है, माल उठाने से इन्कार करने संबंधी शिकायतों की जांच करना ।

(ङ) नौवहन सेवाओं की अपर्याप्तता अथवा अन्यथा और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की तब जांच करना जब पोत वणिक संघ और भाड़ा जांच ब्यूरो अपेक्षित सुधार न कर सकें ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और निम्नलिखित को भेजी जाएं :

1 नौवहन महानिदेशक, जहाज भवन, बालचन्द हीरा चन्द मार्ग, बम्बई-400001 ।

2 अपर सचिव, वाणिज्य, सिविल पूर्ति और सहकारी मन्त्रालय (वाणिज्य विभाग), नई दिल्ली ।

3 अपर सचिव, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली ।

4. संयुक्त सचिव (नौवहन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), नई दिल्ली ।

5 चार्टरिंग के मुख्य नियंत्रक, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

चन्द्रभान बडगूजर, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 14th April 1979

No. 12/4/79.CS(II).—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service to be held by the Staff Selection Commission in 1979, are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of the vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1960, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order; 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act., 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Subordinate Services Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility.—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B)/ Armed Forces Headquarters Stenographers' Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only i.e. Grade D Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Service, Grade III Stenographers of the Stenographers' sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for vacancies in grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) and the Grade D Stenographers of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

(a) Length of service.—He should have, on the crucial date i.e. on 1-1-1979 rendered not less than three years' approved and continuous service in Grade D or grade III of the Service.

Note.—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority, and those having a lien in Grade D or grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-Cadre of the Indian Foreign Service (B) 'Armed Forces Headquarters' Stenographers' Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service/Grade III of the Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service (B) on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination, the results of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years' approved and continuous service in the Grade.

(b) Age.—He should not be more than 50 years of age on the 1st January, 1979 i.e. he must not have been born earlier than 2nd January, 1929.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable—

(i) up to maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 (But before 25th March, 1971);

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, (but before, 25th March, 1971);

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian Origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia Malawi, Zaire and Ethiopia.

(vii) upto a maximum of eight years of a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia Malawi, Zaire and Ethiopia).

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st January 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled

and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations, during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) up to a maximum of eight years in the caseof Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xiv) up to a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) up to a maximum of eight years if the candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xvi) Age concession will be permissible to candidates detained under Maintenance of Internal Security Act or arrested under the Defence and Internal Security Act, 1971 or Rules thereunder who were then within normal age limits, in accordance with the instructions contained in the O.M. 15013/1/77-Estt(D) dated 3rd February, 1978 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms New Delhi. Only one chance is to be allowed till 31-12-79.

Note.—Candidature of the persons admitted to the examination on the basis of age relaxation allower vide rule 4 (c) (iv & v), 4 (c) (vi) and 4 (c) (vii & (viii) would be provisional subject to these concessions being extended beyond 28th February, 1977 and 31st December, 1976, as the case may be.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) Stenography Test.—Unless exempted from passing the Commission's Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, he should have passed the Test on or before the date of notification of this examination.

Note.—Grade D or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers Service.

5. The decision of the Commission as to the eligiblity or otherwise of a candidate for admission to the examination all be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

8. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in three separate lists, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' service, Stenographers' Sub Cadre of Indian Foreign Service (B) and Armed Forces Headquarters Stenographers Service up to the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extend the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers Service Stenographers Sub-Cadre or Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filed on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service, Stenographers Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) and Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

12. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Stenographers Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Armed Forces Headquarters Stenographers Service or otherwise quits the Service or severes his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Grade III of Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers Service will not be eligible for appointment on the results of this Examination.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	1½ Hours	50
(ii) Essay	1½ Hours	50
(iii) General Knowledge	3 Hours	100

Part B.—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST). 200 Marks.

Note.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

Part C—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The syllabus for the Written Test and the Scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers (ii) Essay, and (iii) General Knowledge, either in Hindi or in English and the medium opted (i.e. Hindi or English) should be the same for both the papers mentioned above. Candidates who opt to answer both these papers in Hindi will be required to take the shorthand tests also in Hindi and those who opt to take them in English will be required to take the shorthand tests also in English. Paper (i) General English must be answered by all the candidates in English.

Note 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge of the Written test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in Col. 6 of the application form otherwise it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Test in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be ordinarily entertained.

Note 2.—Candidates who opt to take the shorthand test in Hindi will be required to learn English Stenography and *vice versa* after their appointment.

Note 3.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer papers on (ii) Essay and (iii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

Note 4.—No credit will be given for answer written or Shorthand test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged inter se in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf Part B of the Scheduled below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact-expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART—A

Standard and syllabus of the written test

Note.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English : —The paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammer and composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement of general expression and workmanlike the use of the language. The paper may include question on precis writing, drafting correct use of words, essay, idioms and prepositions, direct and indirect speech etc.

Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, every day science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the question and not detailed knowledge of any text book.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi, will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 14th April 1979

Rules

No. 6/43/78-CS(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1978 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B).

(ii) Grade IV (Assistants) of the Railway Board Secretariat Service.

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service Armed Forces Headquarters Civil Service.

1. A candidate may complete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

No request for alteration in the order of preferences for the Services/Posts for which he is competing, would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of declaration of the results of the examination.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951 [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976] the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution, (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes, Order, 1964, the Constitution (Scheduled) Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes, Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanz. Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

NOTE 3.—Notwithstanding the disqualification/cancellation, the fact of appearance of the candidate at the examination will count as a chance.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1979 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1954 and not later than 1st January, 1959.

(b) The upper age limit will be relaxable upto the age of 30 years in respect of LDCs/UDCs/Stenographers Grade D with not less than 3 years' continuous and regular service on 1st January 1979 in the various Departments, Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

Candidates holding posts, which are not designated as LDC/UDC/Stenographers Grade D will not be eligible for age relaxation under this sub-rule, even though the posts held by them are in identical pay scales.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) up to a maximum of 8 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe and is also of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(xv) up to a maximum of 8 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste/a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holders) from Vietnam or holds emergency certificates issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrive in India from Vietnam not earlier than July 1975.

(D) A candidate who exceeds the prescribed upper age limit on the crucial date viz. 1st January, 1979 and who was detained under the Maintenance of Internal Security Act or was arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder during the period of Internal Emergency between 25-6-75 and 21-3-77 on account of alleged political activities or association with erstwhile banned organisations and thus prevented from appearing at the examination while he was still within the age-limits prescribed for admission to this examination, will be eligible to appear at the examination subject to the condidation that he should not have sat for (i.e. he should have foregone) the examination at least once during the period between June 1975 and March, 1977 for which he was eligible in all respects.

NOTE.—Under this concession, which will not be admissible for admission to any examination held after 31-12-1979, not more than one chance will be allowed

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE.—The candidature of a person who is admitted to the examination under Rule 6(b) shall be cancelled if after submitting his application he resigns from service or his services are terminated by his Department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

An L.D.C./U.D.C./Stenographers Grade D who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority or who is transferred to another post but retains lien on the post from where he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible

7. A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees will also be eligible for admission to the examination.

NOTE II—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE III.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, Justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in a temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

9. The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for the candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obsence language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Schedule Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application (cf col. 22 of the application form)

16. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

17. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed periods they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

18 No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is premissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19 A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

20. Success at the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents is suitale in all respects for appointment to the Service/post.

21. Conditions of Service for Assistants in the Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Central Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service are briefly stated in Appendix II.

K. B. NAIR, Under Secy.

APPENDIX I

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

	Max. Marks	Time Allowed
1. Essay	100	2 hours
2. English in two part (I & II) ..	200	3 hours
Part I--		one hour
Part II--		2 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

2. The question papers in English Part I, Arithmetic and General Knowledge including Georgraphy of India will consist of objective type questions; for details including sample questions please see Candidates' Information Manual at Appendix III.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates. Qestion papers in Essay, Arithmetic and General Knowledge including Geography of India, will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 14 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Candidates who opt to answer any of the papers in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for each subject will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in Essay and English Part II of the examination.

10. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) English :

English Part I—Papers will be designed to test the candidates' ability to understand English and write in that language correctly and effectively.

English Part II—Paper will consist of questions designed to test candidates' ability to write good English and for precis writing.

(3) *Arithmetic*—There will be greater emphasis on understanding of numbers, graphs, elementary statistics and arithmetics.

(4) *General Knowledge including Geography of India*—Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature, which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

(i) *Indian Foreign Service (B).*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Services (B), excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries of Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and posts abroad.	Rs. 1200-50-1600
Integrated Grades II & III	Attache and Section Officer at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200
Grade IV	Assistants at Hqrs and in Missions and Posts abroad	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800

NOTE : Assistants promoted to the Integrated Grades II & III are allowed a minimum pay of Rs. 710/- p.m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS(B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed if otherwise eligible in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the rejection of those who are not found suitable for service abroad.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service or any other Service. Further, all such persons will be liable to serve in any posts either in India or abroad to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the IFS(B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE : In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 1200 (Sixth year or under) -50-1300-60-1600-EB-60-1900-100-2000.

(ii) *The Railway Board Secretariat Service*

The Railway Board Secretariat Service has at present 4 grades as follows :

1. Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) Rs. 1500-60-1800-100-2000.
2. Grade I (Under Secretary or equivalent) Rs. 1200-50-1600.
3. Section Officers Grade Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.
4. Assistants Grade Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE : Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum of Rs. 710 p.m.

Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

On conclusion of the period of probation the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

Persons recruited to Assistants Grade of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

The Railway Board Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Service.

Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) Will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join the service.

The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Service will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Service are treated in the same way as other railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)—Rs. 1200—50—1600.

(3) Section Officers Grade—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(4) Assistants' Grade—Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 710 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been, unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in any other cadre.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

Grade	Scale of P
(1) Selection Grade (Joint Director or Senior Civilian Staff Officer) (Group A)	Rs. 1500-60-1800.
(2) Civilian Staff Officer (Group A)	Rs. 1100-50-1600
(3) Assistant Civilian Staff Officer (Group B- Gazetted)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-E.B.-40-1200.
(4) Assistant (Group B--Non- Gazetted)	Rs 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

NOTE.—An Officer of the Grade of Assistant promoted to Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 710/- in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

APPENDIX III

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

CANDIDATES' INFORMATION MANUAL

A. *OBJECTIVE TEST*

Your examination will be what is called an OBJECTIVE TEST! In this kind of examination (test) you do not write detailed answers. For each question (hereinafter referred to as item) several possible answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one response to each item

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

B. *NATURE OF THE TEST*

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3,... etc. Under each item will be given suggested responses marked a, b, c, ... etc. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best reponse. (see "sample items" at the end.). In any case, in each item you have to select only one response: if you select more than one, your answer will be considered wrong.

C. *METHOD OF ANSWERING*

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in the Examination Hall You have to mark your answer on the answer sheet Answers marked on the Test Booklets or in any paper other than the answer sheet will not be examined.

In the answer sheet, number of the items from 1 to 200 have been printed in four 'Parts'. Against each item, responses, a, b, c, d, e, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given response is correct or the best, you have to mark the rectangle containing the letter of the selected response by blackening it completely with pencil as shown below

(to indicate your response). Ink should not be used in blackening the rectangles on the answer sheet.

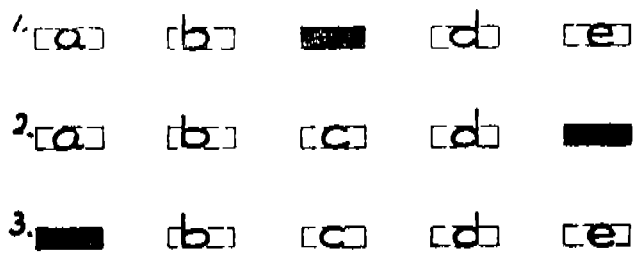

Your answer sheet (specimen enclosed) will be scored by an optical scoring machine which is sensitive to improper marking, use of non-HB pencils, and multilated answer sheets. It is, therefore important that.—

1. You bring and use only good quality HB pencil(s) for answering the items. The machine may not read the marks with other pencils or pens correctly.

2. If you have made a wrong mark, erase it completely and re-mark the correct response. For this purpose, you must bring alongwith you an eraser also;

3. Do not handle your answer sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spindle it.

D. *SOME IMPORTANT REGULATIONS*

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately.

2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.

3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have passed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigilator/Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.

5. Write clearly in ink the name of the examination/test, your Roll No., centre, subject, date and serial number of the Test Booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.

6. You are required to read carefully all instructions given in the Test Booklet. Since the evaluation is done mechanically, you may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the answer sheet is ambiguous then you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.

7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring HB pencil, an eraser, a pencil sharpener and a pen containing blue or black ink. You are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your answer sheet at the end of the test.

E. *SPECIAL INSTRUCTIONS*

After you have taken your seat in the hall, the invigilator will give you the answer sheet. Fill up the required information on the answer sheet with your *pen*. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet. Each Test Booklet will be sealed in the margin so that no one opens it before the test starts. As soon as you have got your Test Booklet, ensure that it contains the booklet number and it is sealed, otherwise get it changed. After you have done this, you should write the serial number of your Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet. You are *not* allowed to break the seal of the Test Booklet until you are asked to do so by the supervisor.

F. *SOME USEFUL HINTS*

Although the test stresses accuracy more than speed it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult one later.

All questions carry equal marks. Answer all the questions. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

The questions are designed to measure your knowledge understanding and analytical ability, not just memory. It will help you if you review the relevant topics, to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly.

G. *CONCLUSION OF TEST*

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. After you have finished answering, remain in your seat and wait till the invigilator collects the Test Booklet and answer sheet from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet and the answer sheet out of the examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

1. Which one of the following causes is NOT responsible for the down fall of the Mauryan dynasty?
   (a) the successors of Asoka were all weak.
   (b) there was partition of the Empire after Asoka.
   (c) the northern frontier was not guarded effectively.
   (d) there was economic bankruptcy during post-Asokan era.

2. In a Parliamentary form of Government
   (a) the Legislature is responsible to the Judiciary.
   (b) the Legislature is responsible to the Executive.
   (c) the Executive is responsible to the Legislature.
   (d) the Judiciary is responsible to the Legislature.
   (e) the Executive is responsible to the Judiciary.

3. The main purpose of extra-curricular activities for pupils in a school is to
   (a) facilitate development.
   (b) prevent disciplinary problems.
   (c) provide relief from the usual class room work.
   (d) allow choice in the educational programme.

4. The nearest planet to the Sun is
   (a) Venus
   (b) Mars
   (c) Jupiter
   (d) Mercury.

5. Which of the following statements explains the relationship between forests and floods?
   (a) the more the vegetation, the more is the soil erosion that causes floods.

(b) the less the vegetation, the less is the silting of rivers that causes floods.

(c) the more the vegetation, the less is the silting of rivers that prevents floods.

(d) the less the vegetation, the less quickly does the snow melt that prevents floods.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 14th April 1979

No. 11/1/79.CS.II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and Railway Board Secretariat Clerical Service to be held by the Staff Selection Commission in September, 1979 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select Lists will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960 the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 1976.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or Railway Board Secretariat Clerical Service who on the 1st January, 1979 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination.

(1) Length of Service :—He should have on the 1st January, 1979 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years' in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service :

Provided that if he had been appointed to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service on the results of the Competitive Examination, includnig a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than five years before the crucial date and he should have rendered not less than four years' approved and continuous service in that Grade.

Note : 1 The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service.

Note : 2 Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

Note : 3 Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex cadre post or to another Service on 'Transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service.

(a) He should not be more than 50 years of age on 1-1-1979 i.e., he must not have been born earlier than 2nd January, 1929.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The age prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes,

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is bona fide displaced person from Bangaladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Bangaladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964; but before 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) upto a maximum of eight years in the case of Defence Service personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operation during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes; and

(xiv) upto a maximum of three years if the candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India, not earlier than July, 1975;

(xv) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Vietnam and has migrated to India not earlier than July, 1975.

(xvi) Age concession will be permissible to candidates detained under Maintenance of Internal Security Act or arrested under the Defence and Internal Security Act, 1971 or Rules thereunder who were within normal age limits, in accordance with the instructions contained in the O.M. No. 15013/1/77 Estt(D) dated 3rd February, 1978, issued by the Department of Personnel and administrative Reforms, New Delhi. Only one chance is to be allowed till 31-12-79.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

(3) Typewriting Test :—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing)/Subordinate Service Commission/Staff Selection Commission for the purpose of confirmation in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any or the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the prescribed fee except those who are claiming fee concession in terms of provisions in the Commission's Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in two separate lists in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clealy understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government of decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers on right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service/Railway Board Secretariat Clerical Service or otherwise quits the Service or severes his connection with it, or whose services are terminated by the Department, or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the C.S.C.S./R.B.S.C.S. will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR, under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion carrying maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects	Maximum Marks		Time allowed
(i) Essay and precis writing			
(a) Essay	50		
(b) precis-writing	50	100	2 hours
(ii) Noting and Drafting and Office proceduce	100		2 hours
(iii) General Knowledge	100		2 hours

Note.—There will be separate papers on Noting, Drafting and Office Procedure for Candidates belonging to the two categories *viz.* C.S.C.S and R.B.S.C.S.

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4 Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz (i) Essay and Precis writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

Note 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

Note 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

Note 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

Note 5.—No credit will be given for answer written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks if any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted or mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

1. Essay and Precis Writing :

(a) *Essay* .—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) Precis Writing : Passages will usually be set for summary or precis.

2. Noting & Drafting and Office Procedure : The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidates knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts.

Candidates belonging to Central Secretariat Clerical Service are required to study the manual of Office Procedure —Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training & Management—the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affair regarding use of Hindi for Official purposes of the Union for this purpose.

Candidates belonging to Railway Board Secretariat Clerical Service are required to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Hand Book of Orders issued by the Ministry of Home Affairs regarding use of Hindi for official purposes of the Union and the Indian Railways Compendium of Orders regarding use of Official Language for this purpose.

3. General Knowledge : The paper on General Knowledge will be intended inter alia to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the county's administration, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 28th March 1979

RESOLUTION

No. F 6 20/78-F.II.—The Government of India have decided to make the following additions to the list of Members in their Resolution No. 3-7/78-F.II, dated the 8th July, 1975 constituting the 4 (Four) Zonal Coordination Committees on Pre-investment Survey of Forest Resources.

1. *Zonal Coordination Committee Central Zone*

1. A Representative of the Hindustan Paper Corporation Ltd.
2. Zonal Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources, Central Zone, Nagpur.
3. Secretary of the State Forest Department, Maharashtra.
4. Secretary of the State Forest Department, Madhya Pradesh.
5. Secretary of the State Forest Department, Orissa.
6. Secretary of the State Forest Department, Gujarat.
7. Managing Director, Forest Development Corporation of Maharasahtra.
8. Managing Director, Forest Development Corporation of Madhya Pradesh.
9. Managing Director, Forest Development Corporation of Orissa.
10. Managing Director, Forest Development Corporation of Gujarat.
11. A Representative of the Western Ghat Development Council.
12. Deputy Inspector General of Forests(G), Deptt. of Agriculture.

Zonal Coordinator will also function as Member-Secretary in place of Under Secretary (Forests), Ministry of Agriculture and Irrigation as hitherto provided.

2. *Zonal Coordination Committee, Northern Zone*

1. A Representative of the Hindustan Paper Corporation Ltd.
2. Zonal Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources, Simla.
3. Secretary of the State Forest Department Himachal Pradesh.
4. Secretary of the State Forest Department, Uttar Pradesh.
5. Secretary of the State Forest Department, Jammu and Kashmir.
6. Secretary of the State Forest Department, Rajasthan.
7. Managing Director of State Forest Development Corporation, Himachal Pradesh.
8. Managing Director of State Forest Development Corporation, Uttar Pradesh.
9. Deputy Inspector General of Forests (G), Deptt. of Agriculture.

Zonal Coordinator will also function as Member Secretary in place of Under Secretary (Forests) Min. of Agriculture and Irrigation as hitherto provided.

3. *Zonal Coordination Committee—Eastern Zone*

1. A Representative of the Hindustan Paper Corporation Ltd.
2. Zonal Coordinator, Pre-investment Survey of Forest Resources, Eastern Zone, Calcutta.
3. Secretary of Forest Department, Bihar.
4. Secretary of Forest Department, West Bengal.
5. Secretary of Forest Department, Meghalaya.
6. Secretary of Forest Department, Assam.
7. Secretary of Forest Department, Tripura.
8. Secretary of Forest Department, Arunachal Pradesh.
9. Secretary of Forest Department, Manipur.
10. Secretary of Forest Department, Andaman and Nicobar Islands.
11. Secretary of Forest Department, Mizoram.
12. Managing Director of State Forest Development Corporation, Bihar.
13. Managing Director of State Forest Development Corporation, West Bengal.
14. Managing Director of State Forest Development Corporation, Meghalaya.
15. Managing Director of State Forest Development Corporation, Tripura
16. Managing Director of State Forest Development Corporation, Arunachal Pradesh.
17. Managing Director of State Forest Development Corporation, Andaman and Nicobar Islands.
18. Deputy Inspector General of Forests (G), Department of Agriculture.

Zonal Coordinator will also function as Member-Secretary in place of Under Secretary (Forests) Ministry of Agriculture and Irrigation, as hitherto provided.

4. *Zonal Coordination Committee, Southern Zone*

1. A representative of the Hindustan Paper Corporation Ltd.
2. Zonal Coordinator Pre-investment Survey of Forest Resources, Southern Zone.
3. Secretary of Forest Department, Andhra Pradesh.
4. Secretary of Forest Department, Karnataka.
5. Secretary of Forest Department, Tamil Nadu.
6. Secretary of Forest Department, Kerala.
7. Managing Director of State Forest Development Corporation, Andhra Pradesh.
8. Managing Director of State Forest Development Corporation, Karnataka
9. Managing Director of State Forest Development Corporation, Tamil Nadu.
10. Managing Director of State Forest Development Corporation, Kerala.
11. A Representative of Western Ghat Development Council.
12. Deputy Inspector General of Forests (G), Department of Agriculture.

Zonal Coordinator will also function as Member-Secretary in place of Under Secretary (Forests) Ministry of Agriculture and Irrigation as hitherto provided.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariate, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. N. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 24th January 1979

RESOLUTION

No. MFR-31/78-MF.—The Article 11 of the UN Code of Conduct for Liner Conferences, inter alia lays down that in matters of common interest e.g. changes in general level of tariff rates, tariff conditions, imposition of surcharges etc., there shall be consultations between the Conferences/Rate Agreements/Shipping Lines and the Shippers' Associations. In the context of the conditions in the shipping interests in India the consultation formulas as laid down in the Code of Coiduct referred to has been adopted from time to time between the shipowners' Organisation and Shipping Associations, but the results achieved have not always been satisfactory. At times the Conferences etc, have imposed freight increases unilaterally and at other times the negotiations between the parties concerned have not been harmonious or conclusive. Experience has revealed that there has been little regularity or smoothness between such bilateral commercial consultations. As a result it has not always been possible for the parties concerned to reach the desired accord in a spirit of proper understanding. The All India Shippers' Council (AISC) and its regional Associations on the one hand and the three national shipping lines viz. the Shipping Corporation of India (SCI), the Scindias Steam Navigation Company Ltd., and the India Steamships Company Ltd., which are members of the most Conferences operating in India's overseas trade have not reached mutually acceptable decisions in matters of common interests. Therefore, with a view to

further strengthening the machinery that presently exists for resolving problems and issues involved in matters of trade affecting the interests of the shiponwers and the shippers, the Government is keen to ensure that Conferences/Rate Agreements/Shipping Lines engaged in India's overseas trade prescribe freights and rates, which should be conducive to the interests of India's national exports. With a view to achieving these objectives, it has been resolved to constitute with immediate effect a Standing Consultative Committee on Freight and Shipping Services.

2. The composition of the Committee shall be as under :—

(i) Director General of Shipping, (Jahaz Bhawan' Walchand Hirachand Marg, Bombay-400 001 *(Chairman)*

(ii) Additional Secretary, Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Department of Commerce), New Delhi. (Member)

(iii) Additional Secretary, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi. (Member)

(iv) Joint Secretary, (Shipping), Ministry of Shipping & Transport (Transport Wing), New Delhi. (Member)

2. (1) The Secretariat assistance to the Committee shall be provided by the Freight Investigation Bureau of the Directorate General of Shipping, Bombay.

3. The terms of reference of the Committee shall be :—

(a) to bring about better understanding between the shipowners and shippers by avoiding unreasonable attitude being adopted and with a view to preventing unilateral action being taken by either side.

(b) to examine the proposals of Conferences/Rate Agreements/Shipping Lines for general freight increases, increases in freight rates of individual commodities, imposition of various surcharges etc. in the event when the shipowners and shippers are unable to reach mutually acceptable agreement and to advice the parties concerned to come to a mutual accord by proper understanding of each other's points of view.

(c) to investigate into complaints from the Shippers relating to anomalous, discriminatory and high freight rates in cases when efforts of the shippers, shippers' Associations and the Freight Investigation Bureau to obtain the revision in freight rates do not meet with success.

(d) to investigate into complaints relating to refusal of cargo by shipowners either because the cargo is dirty or low freighted/unremunerative from the Point of view of shiponwers, and

(e) to investigate into complaints relating to inadequacy or otherwise and quality of shipping services when the efforts of the Shippers' Associations and the Freight Investigation Bureau fail to achieve the required improvement

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India and—

1. Director General of Shipping, 'Jahaz Bhawan' Walchand Hirachand Marg, Bombay-400 001.

2. Additional Secretary, Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Deptt. of Commerce), New Delhi.

3. Additional Secretary, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi.

4. Joint Secretary, (Shipping), Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), New Delhi.

5. Chief Controller of Chartering, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), New Delhi.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. B. BUDGUJAR, Director (MM).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979